08/2/22	वादीगण अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही को विड्रो करने बाबत प्रार्थनापत्र बाबत 023 R1 CPC के तहत पत्रावली तलब करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। वादीगण अधिवक्ता की बहसमुनी। मामले में याचिका की मांग के आधार पर पत्रावली तलब आदेश करने का निवेदन किया गया पत्रावली आज तक नहीं आई। प्रार्थना पत्र बाबत 023 R1 CPC के तहत बाद मुद्दा डिक्री करने पर अदालत धर्म के बाहर विवाद की आपसी में सुलह हो गया है अतः मामले में समझौता की मांग के मद्देनजर वादी द्वारा वादीगण को वाद पत्र को वापस लेने जाने विड्रो की आज्ञा दी जाती है। वाद खर्चा होगा हो तो देकर नवीन दावा दायर कर सकते है। फैसला पूर्व में आया तथा पुनर्गठन

मैं अधिवक्ता वादीगण वादी क्रमांक-01 पुखराज की मृत्यु हो चुकी है जिनका वारिस पुत्र - वादी क्रमांक 02, 03 हैं। वादी क्रमांक 02, 03 के निर्देशानुसार यह वाद विड्रो कर not proceed करता हूँ।
दिनांक 8.2.2022
(अधि. वादीगण)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2022.04.20 11:36:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner